

Eastern Railway

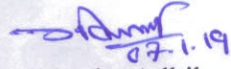
Kolkata, Dated : 07/01/2019

E850/Hindi
All Concerned

Sub: **Enhancement in the rate of Remuneration(Honorarium) 'of Clerks/Conveners engaged in the work of Official Language Implementation Committee.**

A copy of Rly. Board's letter No. Hindi/Samiti/2017/41/1 Dated 27.12.18 is forwarded herewith for information and necessary action.

DA: As above


Rajbhasha Adhikari
for Mukhya Rajbhasha Adhikari

Copy of Railway Board's letter No. Hindi/Samiti/2017/41/1 Dated 27.12.2018 addressed to GMs' All India Rlys. and others.

Sub: **Enhancement in the rate of Remuneration(Honorarium) 'of Clerks/Conveners engaged in the work of Official Language Implementation Committee.**

In supersession of previous orders issued on the above subject vide Board's letter No. Hindi/Samiti/2009/65/1 dated 06/05/2009, the ministry of Railways (Railway Board) have decided to enhance the rates of remuneration (Honorarium) being paid to the Railway employees who are performing the duties of Clerks/Conveners of Official language Implementation Committee set up at various offices/railway stations of Zonal Railways in addition to their normal duties from Rs. 300/-per month to Rs. 600/-per month.

2. The revised amount of remuneration (Honorarium) will be effective from January,2019. Beside this, it is also sated that the pending payment of the remuneration (Honorarium) upto December 2018, if due,will be given on the basis of remuneration (Honorarium) effective time viz Rs. 300/- per month.
3. In this regard, other terms and conditions will remain unchanged.
4. This issues with concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railway (Railway Board)
5. Please acknowledge receipt.

Sd/-
(Risal Singh)
Dy. Director, OL
Railway Board

पूर्व रेलवे

सं. ई.850/हिन्दी-1/3.8

कोलकाता,

दिनांक 07/01/2019

सर्वसंबंधित

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से संबंधित कार्य देखने वाले

लिपिकों/संयोजकों के पारिश्रमिक (मानदेय) में वृद्धि

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 27.12.2018 का पत्र सं.हिंदी/समिति 2017/41/1

उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड का पत्र सं. हिंदी/समिति/2017/41/1 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाती है।

संलग्न: यथोक्त।


07.1.19
राजभाषा अधिकारी

कृते मुख्य राजभाषा अधिकारी

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधक तथा अन्य को संबोधित रेलवे बोर्ड का पत्र सं. हिंदी/समिति/2017/41/1 दिनांक 27.12.2018 की प्रतिलिपि।

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से संबंधित कार्य देखने वाले

लिपिकों/संयोजकों के पारिश्रमिक (मानदेय) में वृद्धि

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड कार्यालय के 06.05.2009 के पत्र सं. हिन्दी/समिति/2009/65/1 के अंतर्गत जारी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड) द्वारा अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त क्षेत्रीय रेलों के कार्यालयों/स्टेशनों पर स्थित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के लिपिकों/संयोजकों के रूप में कार्य करने वाले रेल कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक (मानदेय) की मौजूदा प्रतिमाह 300/- रुपये की राशि को बढ़ाकर 600/- रुपये प्रतिमाह करने का विनिश्चय किया गया है।

2. संशोधित पारिश्रमिक (मानदेय) की राशि जनवरी, 2019 से लागू होगी। साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि दिसम्बर, 2018 तक के लंबित पारिश्रमिक (मानदेय) का भुगतान, यदि कोई हो, उस समय लागू पारिश्रमिक (मानदेय) अर्थात् 300/- रुपये प्रतिमाह के आधार पर किया जाए।
3. इस संबंध में, अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।
4. यह पत्र रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
5. कृपया पावती भेजें।

ह0/-

(रिसाल सिंह)

उप निदेशक, राजभाषा
रेलवे बोर्ड